178

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस0एस0 अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–33–दो/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–11–2003 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक–136/2000–01/निगरानी

.....

ऋषभ कुमार जैन पुत्र प्रकाशचन्द्र
निवासी–ग्राम बहादुरपुर, तहसील मुंगावली
जिला–अशोकनगर(म0प्र0)

----------आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

----------अनावेदक

.....

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ट शर्मा, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/10/14 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 30–11–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा ग्राम रूसल्ली स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 7/1 में से रकबा 0.500 एवं सर्वे क्र0 52/2 में रकबा 0.514 हैक्टेयर पर निरंतर कब्जा के आधार पर व्यवस्थापन किये जाने का आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार मुंगावली द्वारा कार्यवाही प्रारंभ करते हुये दिनांक 14.06.2000 को व्यवस्थापन के

आदेश दिये। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा कलेक्टर गुना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर दिनांक 05.03.2001 से तहसीलदार के व्यवस्थापित आदेश को विशेष उपबंन्ध अधिनियम 1984 की धारा 2(ए) एवं धारा 3 के अंतर्गत उल्लंघन मानकर निरस्त किया है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि को पुनः शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश दिये। कलेक्टर गुना के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । जहॉ अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 136/2000–01/निगरानी पर दर्ज कर दिनांक 20.11.2003 से कलेक्टर गुना के आदेश को यथावत करते हुये निगरानी को सारहीन मानकर निरस्त किया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा निरंतर कब्जे के आधार पर व्यवस्थापन किये जाने हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र दिया था। निरन्तर कब्जे के आधार पर व्यवस्थापन की कार्यवाही मध्यप्रदेश कृषि प्रयोजनों के लिये दखलरहित भूमि का भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत की जाती है। विशेष उपबंध अधिनियम के अंतर्गत भूमिस्वामी अधिकारों को प्रदान किये जाने के लिये यह आवश्यक है कि प्रश्नाधीन भूमि पर उनका कब्जा 02.10.84 से पूर्व का हो तथा वह अधिनियम की धारा 7 के तहत भूमिहीन हो। अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत भूमिहीन से अभिप्रेरित ऐसा व्यक्ति है जो चाहे अकेले या अपने कुटुम्ब के अन्य सदस्यों के साथ सामूहिक रूप से 2.00 हैक्टेयर से कम भूमि धारित करता हो। परन्तु आवेदक का वर्णित भूमि पर खसरा में मात्र वर्ष 1999–2000 में एक वर्ष का कब्जा अंकित है। आवेदक के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में

ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर आवेदक 02.10.1984 से पूर्व से काबिज है। भूमि का व्यवस्थापन का उद्देश्य मात्र ऐसे व्यक्तियों के जीवनयापन के लिये भूमि प्रदान किया जाना होता है जो भूमिहीन हो । आवेदक ने तहसील न्यायालय में व्यवस्थापन हेतु आवेदन दिया था और तहसील न्यायालय ने व्यवस्थापन का आदेश पारित किया है। जबकि आवेदक न तो भूमिहीन है और न उक्त प्रावधान के अंतर्गत ही उक्त भूमि पर उसका कब्जा दखल है। ऐसे में तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही विधिक प्रक्रिया के विपरीत है । कलेक्टर गुना ने तहसीलदार द्वारा पारित किये गये आदेश को विशेष उपबंध अधिनियम 1984 की धारा 2(ए) एवं धारा 3 का उल्लंघन मानकर निरस्त किया है तथा अभिलेख के आधार पर पूर्ववत उक्त भूमि को शासकीय घोषित किया है, जो कि विधिक प्रक्रिया के अनुसार उचित प्रतीत होता है और अपर आयुक्त ग्वालियर ने अपने विस्तृत आदेश में पूर्ण विवेचना कर इसकी पुष्टि की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश दिनांक 20.11.2003 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,